समापन भाषण

चतुर्दश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2006 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल छः बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक- 8 दिसम्बर, 2006 को सभा सचिव ने बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत 14 विधेयकों का एक विवरण सभा पटल पर रखा । तत्पश्चात् 14 दिवंगत जननायकों का सदन में शोक-प्रकाश करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को एक नवनिर्वाचित माननीय सदस्य, श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा शपथ ग्रहण किया गया । इसी दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा (1) बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) नियमावली, 2006 (2) बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) संशोधन नियमावली, 2003 (3) बिहार विधान मंडल (नेता, विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता) वेतन एवं भत्ते नियमावली-2006 (4) बिहार विधान मंडल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) नियमावली-2006 (5) बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली-2006 (6) बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) संशोधन नियमावली-2006 को सदन पटल पर रखा गया । तत्पश्चात् माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 को बिहार साहूकार (संशोधन) विधेयक-2006 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ । पटना विश्वविद्यालय की प्रो० पापिया घोष की हत्या के मामले में सरकार द्वारा वक्तव्य दिया गया । सामान्य लोकहित के विषय पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 को बिहार होटलों में विलासिता कराधान (संशोधन) विधेयक-2006 एवं बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन विधेयक-2006 को सभा द्वारा स्वीकृत किया गया ।

दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 को बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा-99 के तहत विभिन्न अधिसूचना की प्रति तथा बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए प्रवेश कर अधिनियम-1993 की धारा-3 (1) के अन्तर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं की प्रति सभा पटल पर प्रभारी मंत्री द्वारा रखा गया । बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक-2006, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक-2006, बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक-2006, बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक-2006 को सभा द्वारा स्वीकृत किया गया ।

दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा द्वितीय परिणाम बजट सदन के पटल पर रखा गया । सत्र के दौरान बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों को प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित किया गया ।

सत्र के दौरान कुल- 1147 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल- 889 प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें-30 अल्पसूचित प्रश्न, 590 तारांकित प्रश्न तथा 269 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 47 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 90 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । 03 प्रश्न अपृष्ठ हुए एवं इनमें से 736 प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक मामले सदन में उठाये गये ।

इस सत्र में कुल-160 निवेदन प्राप्त हुए जिसमें 114 स्वीकृत हुए एवं 46 अमान्य हुए । कुल- 108 याचिकाएँ प्राप्त हुई जिनमें से 74 स्वीकृत एवं 34 अस्वीकृत हुई। ध्यानाकर्षण की कूल सूचनाएँ 202 थी, जिसमें 10 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए ।

सत्र संचालन में माननीय मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ जिनका भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हुआ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के रचनात्मक सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी, सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित्त काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।